छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 551/2007

1. **श्री गौतमचन्द जैन,** - *अपीलार्थी*
कामठी लाईन, देना बैंक के सामने,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय मण्डल प्रबंधक,
पानाबरस परियोजना मण्डल,
जिला- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 24 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री गौतमचन्द जैन ने दिनांक 03.01.2007 को आवेदक देकर जन सूचना अधिकारी से 10 बिन्दुओं की जानकारी माँगी थी, उक्त आवेदन पर दिनांक 03.02.2007 को अपूर्ण जानकारी दी गई, जिस पर उन्होंने कुछ जानकारी के अवलोकन करने की मॉग की और अवलोकन नही कराने के कारण बाद में उनके द्वारा दिनांक 21.04.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिस पर दिनांक 31.07.2007 को आदेश दिया गया कि सात दिवस में अभिलेख का अवलोकन कराकर छायाप्रति निःशुल्क दी जावे, किन्तु उक्त आदेश के बाद भी अवलोकन नही कराने के कारण असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.06.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में विलंब के लिए तत्कालीन मण्डल प्रबंधक श्री सलीम को पांच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । इस बीच प्रकरण में अवलोकन कराया जाकर जानकारी दी जा चुकी है, यह अपीलार्थी ने भी स्वीकार किया है, किन्तु मौखिक तर्क में उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया कि लोक निर्माण विभाग की एन0ओ0सी0 के बारे में लोक निर्माण विभाग को लिखे गये रिकार्ड की कापी उन्हें दी जावे और कार्यपूर्णता के संबंध में उन्हें संबंधित पत्रों का अवलोकन कराया जावे । इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त दोनों बिन्दुओं से संबंधित रिकार्ड का अपीलार्थी को निःशुल्क अवलोकन कराया जाकर निःशुल्क प्रतियाँ एक सप्ताह में दिया जावे । कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में श्री सलीम, मण्डल

प्रबंधक द्वारा यह लिखा गया और मौखिक तर्को के समय बताया गया कि बीच में लोकसभा चुनाव रहे इसलिए अवलोकन के लिए तिथि का निर्धारण नही कराया जा सका और जो भी विलंब हुआ है उसका कारण प्रशिक्षण का अभाव हो सकता है, न कि विलंब हेतु लापरवाही अथवा दुर्भावना । उपरोक्त स्थिति में उनका स्पष्टीकरण संतोषप्रद प्रतीत होता है, अतः उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत कार्यालय वन विकास निगम, परियोजना मण्डल की ओर से अपीलार्थी को राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त